तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/12/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 144 के मुल उद्देशयों को ही समझने में भारी भूल की है। आदेश दिनांक 21.03.2013 व तत्पश्चात दिनांक 10.03.2021 को पुनः प्रेषित रिमाण्ड किया जाकर मूल रूप से तामिल को आधार मानकर पारित किया गया है जिस हेतू जो मुल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में विचाराधीन रहा है तत् समय स्थगन आदेश पारित था। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से स्थगन आदेश अपीलाण्ट के पक्ष में पारित किया जाना विधि सम्मत था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमाया जावे। तथा रेस्पोडेण्ट को वादग्रस्त आराजी बाबत मौके व रेकर्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द करे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 26.10.2017 में अंकित किया है कि–

"वकील वादी द्वारा धारा 144 सीपीसी के आवेदन को लंबित रखते हुये रेकर्ड की यथास्थिति रखे जाने की मांग की जा रही है, जो अधिवक्ता वादी की मांग विधि सम्मत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।"

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी विचाराधीन है, जिसमें अंतिम निस्तारण पर पूर्व पारित निर्णय व डिक्री के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट होगी। प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण से पूर्व वादग्रस्त आराजी की स्थिति में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रकरण की परिस्थति को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। सहायक कलेक्टर बाली को निर्देशित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण का दो माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें।

उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली